क्रम-संख्या–176

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 9 सितम्बर, 2021
भाद्रपद 18, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1

संख्या 1305 / सत्तर-1–2021-16(16)-2016
लखनऊ, 9 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

सा0प0नि0–61

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974) द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1975 का संशोधन करने की दृष्टि से राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :–

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (आठवाँ संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (आठवाँ संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम–6 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1975, में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 6 के खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(क) कुलसचिव के तैंतीस प्रतिशत पद, उप कुलसचिव के समस्त पद और सहायक कुलसचिव के तैंतीस प्रतिशत पद नियम 20 में निर्धारित रीति से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे;	(क) कुलसचिव के पचास प्रतिशत पद, उप कुलसचिव के समस्त पद और सहायक कुलसचिव के पचास प्रतिशत पद नियम 20 में निर्धारित रीति से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे;

आज्ञा से,
मोनिका एस0 गर्ग,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clauses (3) of Article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1305/LXX-1-2021-16(16)-2016, dated September 9, 2021 :

No. 1305/LXX-1-2021-16(16)-2016

Dated Lucknow, September 9, 2021

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 17 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act no. 10 of 1973) as amended and re-enacted by Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974 (U.P. Act no. 29 of 1974) *read* with section-21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act no. 1 of 1904) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh State Universities (Centralized) Service Rules, 1975, namely :-

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (CENTRALIZED) SERVICE (EIGHTH AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and commencement

1. (1) These rules may be Called the Uttar Pradesh State Universities (Centralized) Service (Eighth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule-6

2. In the Uttar Pradesh State Universities (Centralized) Service Rules, 1975, for clause (a) of rule 6 set-out in column-1, the clause as set-out in column-2 below, shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1 *Existing clause*	COLUMN-2 *Clause as hereby substituted*
(a) thirty-three per cent of the posts of Registrar, all posts of Deputy Registrar and thirty-three per cent of the posts of Assistant Registrar shall be filled in by promotion in the manner laid down in rule 20 ;	(a) Fifty per cent of the posts of Registrar, all posts of Deputy Registrar and fifty per cent of the posts of Assistant Registrar shall be filled in by promotion in the manner laid down in rule 20 ;

By order,
MONIKA S. GARG,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 300 राजपत्र–2021–(644)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 उच्च शिक्षा–2021–(645)--500 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)

300 RPH (siksha folder) niyamawali -anu-1 data 4e